न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री एल.एन मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 35/2012/(2012/00008) जिला–नागौर

बसंतराज पुत्र अमृतराज जाति ओसवाल, निवासी मेड़तासिटी तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

–––अपीलार्थी

बनाम

1. श्री सत्यदेव पुत्र मनोहरदान जाति चारण निवासी मण्डावरा तहसील मेड़ता जिला नागौर।
2. आवडदान पुत्र किशनदान जाति चारण निवासी मण्डावरा तहसील मेड़ता जिला नागौर।
3. हुलास कंवर पत्नी किशनदान जाति चारण निवासी मण्डावरा तहसील मेड़ता जिला नागौर।

–––––प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता सिटी
दिनांक 09–01–2012 अन्तर्गत अपील संख्या 03/2012
बउनवान सत्यदेव बनाम बसन्तराज व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री एस.के.पुरोहित अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री जी.एस.लखावत, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1

निर्णय

दिनांकः– 27.12.2019

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मण्डावरा तहसील मेड़ता सिटी जिला नागौर में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 50 रकबा 96. 01 बीघा में से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा 1/5 हिस्सा अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31–8–81 को विक्रय कर देने से ग्राम पंचायत बडायली द्वारा नामान्तरकरण संख्या 115 दिनांक 24–01–85 को अपीलांट के पक्ष में तस्दीक किया गया। जिसके आधार पर अपीलांट राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार होकर वादग्रस्त आराजियात पर काश्त करता चला आ रहा है। ग्राम पंचायत बडायली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 115 दिनांक 24–01–85 के

विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 सत्यदेव द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर अपील पेश की जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–1–2012 द्वारा स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 115 दिनांक 24–1–85 निरस्त कर प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड कर दिया कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद जांच विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए नामान्तरकरण के निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधिनस्थ न्यायालय अधिनस्थ न्यायलय का फैसला नॉनस्पीकिंग आदेश है जो फैसले की परिभाषा में नहीं आता है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 115 के विरूद्ध अपील 20 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है जिसे बिना किसी आधार के सरसरी तौर पर अन्दर मियाद मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायलय द्वारा सचिव ग्राम पंचायत के इस कथन को आधार माना कि ग्राम पंचायत में विवादग्रस्त आराजियात बाबत सन् 1985 का प्रस्ताव उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत ने कोई प्रस्ताव नहीं लिया परन्तु विधिक स्थिति के अनुसार यदि ग्राम पंचायत में उक्त प्रस्ताव उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि प्रस्ताव लेकर सर्वसम्मति से नामान्तरकरण नहीं भरा गया हो। धारा 114 ऐवीडेन्स एक्ट के तहत यही माना जावेगा कि ग्राम पंचायत ने जो नामान्तरकरण भरा वो सर्वसम्मति से प्रस्ताव लेकर ही भरा है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

बहस के दौरान उन्होनें यह भी कथन किया कि अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 31–8–81 को किये गये विक्रय पत्र को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। जब तक उक्त विक्रय पत्र सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य व अवैध घोषित नहीं कर दिया जाता तब तक उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत बडायली द्वारा अपीलांट के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 115 तस्दीक किया गया था उसे चुनौती देने का रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को कोई हक नहीं था। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की अपील को स्वीकार करने में कानूनी भूल की है। अपीलार्थी के पक्ष में किया गया विक्रय सही है या नहीं इसका निर्णय नामान्तरकरण की कार्यवाही जो कि एक फिस्कल प्रोसिडिंग्स है, में नहीं किया जा सकता। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित करने में अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूली की है। अतः अपलार्थी की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता सिटी द्वारा

पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–01–2012 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के अव्यस्क रहने के दौरान विवादग्रगस्त आराजियात खसरा नम्बर 50 रकबा 96.01 बीघा में से 2/5 हिस्सा अपीलांट को दिनांक 31–8–81 को विक्रय कर पंजीयन करवा दिया गया था। तत्समय रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 खातेदार भी नहीं थी तथा बिना बंटवारे के उसको विक्रय विलेख करने का अधिकार नहीं था। विवादग्रस्त आराजियात के बेचान के पश्चात अपीलांट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। अपीलांट ने मौका पाकर उपसरपंच ग्राम पंचायत बडायली से नामान्तरकरण संख्या 115 दिनांक 24–1–85 को स्वीकृत करवा लिया। वर्ष 1985 के अपीलांट व्यस्क हो गया था। ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं लिया तथा सरपंच के द्वारा ही नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाता है नामान्तरकरण संख्या 115 उपसरपंच ने स्वीकृत किया है, उपसरपंच को नामान्तरकरण स्वीकृत करने का अधिकार नहीं है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को उक्त नामान्तरकरण की नकल प्राप्त करने पर विक्रय विलेख की जानकारी हुई। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता सिटी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–01–2012 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत को ग्राम सभा में प्रस्ताव लेकर सर्वसम्मति से नामान्तरकरण स्वीकृत करने का अधिकार है। सचिव ग्राम पंचायत बडायली ने रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम पंचायत में 1985 को रेकार्ड उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में लिया गया प्रस्ताव अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी उपलब्ध नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नामान्तरकरण संख्या 115 दिनांक 24–1–85 (वादग्रस्त नामान्तरकरण) है एवं इस न्यायालय में पटवारी हलका मण्डावरा के प्राप्त मूल नामान्तरकरण संख्या 115 दिनांक 21–6–2000 दोनों का अवलोकन किया जिसमें अंकित खसरा नम्बरान एवं खातेदारों के नाम भी परस्पर भिन्न–भिन्न हैं जो सन्देहास्पद प्रतीत होते है।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध विक्रय पत्र में विवादग्रस्त आराजियात का बेचान दिनांक 31–8–81 को किया गया है जिसके आधार पर अपीलार्थी द्वारा चार साल बाद नामान्तरकरण संख्या 115 दिनांक 24–1–85 को उपसरपंच ग्राम पंचायत बडायली से स्वीकृत कराया गया है। अपीलार्थी को विक्रय पत्र के आधार पर तत्समय ही नामान्तरकरण स्वीकृत कराया जाना चाहिए था। सरपंच को ही नामान्तरकरण स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त है। उपसरपंच को नामान्तरकरण स्वीकृत करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी अपीलार्थी द्वारा उपसरपंच से नामान्तरकरण संख्या 115 दिनांक

24–01–85 स्वीकृत कराया है जो सन्देहास्पद प्रतीत होता है। साथ ही अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नामान्तरकरण संख्या 115 दिनांक 24–1–85 (वादग्रस्त नामान्तरकरण) है एवं इस न्यायालय में पटवारी हलका मण्डावरा के प्राप्त मूल नामान्तरकरण संख्या 115 दिनांक 21–6–2000 दोनों में अंकित खसरा नम्बरान एवं खातेदारों के नाम परस्पर भिन्न–भिन्न होने के कारण भी प्रकरण सन्देहास्पद प्रतीत होता है। चूंकि नामान्तरकरण एक फिस्कल कार्यवाही है जिसमें किसी के हक हकूकों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तथा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता सिटी द्वारा प्रकरण का निस्तारण किसी एक के पक्ष में न कर अपितु प्रकरण को पुनः ग्राम पंचायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए नामान्तरकरण के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

प्रकरण के उक्त सभी पहलुओं पर विचार करने पर यह उचित प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को अपने हक हकूकों के लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर लाभ प्राप्त करना चाहिए था। इस नामान्तरकरण की अपील में उन्हें कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता सिटी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–01–2012 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) मेड़ता सिटी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–01–2012 अन्तर्गत अपील संख्या 03/2012 बउनवान सत्यदेव बनाम बसन्तराज व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(एल.एन.मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2020.04.07 13:03:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: